न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 25 / 2015
RCMS Case No. 2015/00465

अपीलाण्टः–	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स :–
1 भुण्डाराम पुत्र शंकरलाल 2 सुखदेव पुत्र शंकरलाल 3 विद्या पुत्री शंकरलाल 4 पुष्पा पुत्री शंकरलाल जातिगण कुम्हार निवासीगण सोजत सिटी 5 रमेश पुत्र कुन्नाराम 6 सुखीया पत्नी कुनाराम जातिगण कुम्हार निवासीगण सोजतसिटी 7 जगदीश पुत्र रामचन्द्र 8 सम्पत पुत्र रामचन्द 9 राजेन्द्र कुमार पुत्र रामचन्द 10 पानी पत्नी रामचन्द्र जातिगण कुम्हार निवासीगण सोजतसिटी 11 तुलसाराम पुत्र गुणेशराम जाति कुम्हार निवासी सोजत सिटी		1 बाबूलाल पुत्र वालाराम जाति कलाल निवासी रेन्दडी 2 शिवदत्तसिंह पुत्र हिंगलाजदान जाति चारण निवासी रेन्दडी 3 महेन्द्र मेवाडा पुत्र बाबुलाल जाति कलाल निवासी सरजा बावरोड, सिरोही 4 अकिलाबानू पत्नी नईम अख्तर जाति मुसलमान निवासी सिरोही 5 आनन्द मेवाडा पुत्र मांगीलाल मेवाडा जाति कलाल निवासी सान्जी की बाडी, सिरोही 6 राजेन्द्र पुत्र खुमाराम जाति माली निवासी करणी नगर, सोजत सिटी 7 महेन्द्र मेवाडा पुत्र बाबुलाल जाति कलाल निवासी सरजा वाबरोड, सिरोही 8 बाबुलाल पुत्र लक्ष्मणराम जाति कलाल निवासी हरिजनों का बास, सिरीयारी 9 अशोक कुमार मेवाडा पुत्र हीरालाल जाति कलाल निवासी पुरोहितों के भवन के पास, पिण्डवाडा 10 दिनेश मेवाडा पुत्र देवीचन्द जाति कलाल निवसी 210 डी, कमला नेहरू नगर, जोधपुर 11 तहसीलदार (भूमिधारक) सोजत तहसील सोजत

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. श्री महेन्द्र चौधरी, विद्धान अभिभाषक अपीलाण्ट

अति० जिला कलेक्टर, पाली

2. श्री सुरेन्द्र वैष्णव, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 10
3. सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 11 की ओर से

—: निर्णय :—

दिनांक 2/11/2018

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत प्रस्तुत कर तहसीलदार सोजत द्वारा ग्राम बासनी मुथा के नामान्तरकरण संख्या 405 पर पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 29.11.2014 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम बासनी मूथा तहसील सोजत के खसरा नम्बर 47 व 53 कुल खसरा 2 जिसका कुल रकबा 3.9300 हैक्टेयर की भूमि अपीलाण्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 10 की संयुक्त खातेदारी के तौर पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। मौके पर सभी खातेदार अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त है। इस भूमि का आपसी सहमति से विभाजन पक्षकारान के बीच लिखा गया, जिसमें अपीलाण्ट ने अपने हस्ताखर किये, उस समय खसरा नम्बर 47 व 53 का कुल रकबा 3.9300 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा अर्थात 1.9650 हैक्टेयर की भूमि अपीलाण्ट्स के पक्ष में रखी गई, जिसमें अपीलाण्ट संख्या 1 से 4 का 1/12वां हिस्सा होने से खसरा नम्बर 53/2 रकबा 0.3275 हैक्टेयर, अपीलाण्ट संख्या 5 व 6 का 1/6 हिस्सा होने से खसरा नम्बर 53/4 रकबा 0.6530 हैक्टेयर, अपीलाण्ट संख्या 7 से 10 का 1/6 हिस्सा होने से खसरा नम्बर 53/1 रकबा 0.6550 हैक्टेयर एवं अपीलाण्ट संख्या 11 का 1/12 हिस्सा होने से खसरा नमबर 53/3 रकबा 0.3275 हैक्टेयर दर्ज किया गया था एवं रेस्पोडेन्ट के हक में खसरा नम्बर 53 रकबा 0.0450 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 47 रकबा 1.9200 हैक्टेयर की भूमि रखी गई। इसी अनुरूप बंटवाडा लिखवाया जाकर अपीलाण्ट्स ने उक्त बंटवाडे पर अपने हस्ताक्षर किए। अपीलाण्ट द्वारा उक्त बंटवाडा पटवारी हल्का को सुपुर्द कर दिया। इसके पश्चात रेस्पोडेन्ट ने पटवारी हल्का से मिलावट करते हुए बंटवाडे में कांट छांट कर खसरा नम्बर 53 का रकबा 0.0450 के स्थान पर 0.2100 हैक्टेयर दर्ज कर दिया तथा रेस्पोडेन्ट का कुल रकबा 2.1300 हैक्टेयर दर्ज कर दिया, जबकि सम्पूर्ण भूमि में रेस्पोडेन्ट के सभी का 1/2 हिस्सा ही बनता है, जिसके अनुसार 1.9650 हैक्टेयर भूमि ही रेस्पोडेन्ट की बनती है। इस कारण उक्त विभाजन आरम्भ से ही शून्य है तथा उक्त बंटवाडे के आधार पर दायर नामान्तरकरण भी आरम्भ से ही शून्य है। अपीलाण्ट ने पटवारी हल्का पर पूर्ण विश्वास एवं भरोसा कर बंटवाडा पर हस्ताक्षर एवं अंगुष्ठ निशान किये थे, किन्तु पटवारी हल्का ने रेस्पोडेन्ट से मिलावट कर उस बंटवाडा में कांट छांट करवा कर अपीलाण्ट की भूमि कम दर्ज कर दी, इस कारण उक्त बंटवाडा हिस्से अनुसार नहीं होने से अवैध व शून्य है। अतः उक्त बंटवाडे के आधार पर दायर नामान्तरकरण भी अवैध व शून्य होने से खारिज योग्य है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील नामान्तरकरण को अपास्त करावें।

अति० जिला कलेक्टर, पाली

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष द्वारा आपसी सहमति से किये गये विभाजन के आधार पर जैर अपील नामान्तरकरण दायर किया गया है। चूंकि उक्त नामान्तरकरण विभाजन पर पारित आदेश की पालना में दायर किया गया है तथा उक्त आदेश अथवा विभाजन का नामान्तरकरण अपील के अन्तर्गत परीक्षण नहीं किया जा सकता है। नामान्तरकरण अपील के अन्तर्गत नामान्तरकरण की प्रक्रिया एवं वैधानिकता को जांचा एवं परखा जाना है, जिसके तहत विभाजन को रेखांकित नहीं किया जा सकता है। अतः अपील खारिज करावें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा नामान्तरकरण अपील के अन्तर्गत जो भी आधार लिए गए है, वे समस्त उक्त तथाकथित बंटवाडे को निरस्त कराने के है, जिसे अपीलाण्ट आरम्भ से ही शून्य होना बताते है। प्रश्न यह प्रकट होता है कि क्या नामान्तरकरण अपील की परिधी में उक्त तथाकथित विभाजन का परीक्षण किया जा सकता है अथवा नही ? तथा नामान्तरकरण को निरस्त किये जाने पर, जिस आदेश के आधार पर नामान्तरकरण दायर किया गया है, वह आदेश प्रभावित होगा अथवा नही ? इस सम्बन्ध में हमारा विनम्र मत यह है कि नामान्तरकरण अपील के तहत नामान्तरकरण दायर करने में अपनाई गई प्रक्रिया एवं विधिकता का परीक्षण किया जाना है। यदि अपीलाण्ट को उक्त विभाजन से किसी प्रकार का शिकवा अथवा शिकायत थी, तो अपीलाण्ट को उक्त विभाजन को सक्षम न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जानी थी, नामान्तरकरण अपील के माध्यम से विभाजन को परीक्षित करते हुए रेखांकित किया जाना विधि सम्मत नहीं है। इस हेतु विभाजन के आदेश को चुनौती दिया जाना ही समुचित उपचार है। इस अनुरूप अपीलाण्ट की अपील पोषणीय नहीं पाई जाती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट की अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा तहसीलदार सोजत द्वारा ग्राम बासनी मुथा के नामान्तरकरण संख्या 405 पर पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 29.11.2014 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रतिलिपी के साथ तहसीलदार सोजत का मूल रेकर्ड लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 2/11/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली